भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2507

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

बोरवेल में गिरने से हुई मौतें

2507. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गत पांच वर्षों (2020-2025) के दौरान देश में बोरवेल में गिरने से हुई मौतों का कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दिनांक 11.02.2010 और 06.08.2010 के आदेशों में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू रखने और उनकी निगरानी करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का कर्नाटक के नव अधिनियमित (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक से प्रेरणा लेते हुए बोरवेल दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में होने वाली बोरवेल संबंधी दुर्घटनाओं/मृत्यु से संबंधित आंकडे तैयार नहीं किए जाते हैं। हालांकि, गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2020 और 2025 के मध्य, राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) द्वारा बोरवेल बचाव के लिए देश में कुल 37 ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें से 17 सफल रहे।

(ग): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-02-2010 और 06-08-2010 के आदेश के तहत जारी सुरक्षा दिशा-निर्देशों का प्रचार करने के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कड़ी कार्रवाई करने और सभी जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों को प्रभावी अनुपालन हेतु उत्तरदायी बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों/प्रशासकों को कई पत्र लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में प्रत्येक प्रशासनिक स्तर (राज्य स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक) पर एक उपयुक्त नोडल एजेंसी/विभाग और नोडल अधिकारी के गठन का अनुरोध किया गया है जो माननीय उच्चतम

न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अब तक 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने राज्यों में ऐसी नोडल एजेंसी के गठन की सूचना प्राप्त हो गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को गंभीरता से लेते हुए इसकी कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 13.07.2021 और 21.01.2025 को सार्वजनिक नोटिस / परामर्शी जारी किए गए हैं।

(घ) और (ड़): जल राज्य का विषय है। भूजल निष्कर्षण के प्रभावी विनियमन और नलकूपों की ड्रिलिंग और उनके रखरखाव जैसी गतिविधियों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार मुख्यतः परामर्शी भूमिका निभाती है और आवश्यकतानुसार राज्यों को मार्गदर्शन दिया जाता है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'भूजल के विकास और प्रबंधन के विनियमन और प्रबंधन के लिए मॉडल विधेयक' उपलब्ध कराया गया था ताकि वे भूजल के विकास के विनियमन हेतु उपयुक्त भूमि जल कानून अधिनियमित कर सकें। इस विधेयक में नए बोरवेल की ड्रिलिंग हेतु परमिट देने जैसे प्रावधान शामिल थे; मौजूदा बोर वेल-मालिकों का पंजीकरण; ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण; बोरवेल की गहराई और व्यास संबंधी प्रतिबंध; भूजल के उपयोग के उद्देश्यों पर प्रतिबंध आदि शामिल हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य बोरवेल संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बोरवेल ड्रिलरों के साथ-साथ मालिकों की ओर किए जाने वाले प्रभावी अनुपालन एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करना हैं। अब तक कर्नाटक सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूजल कानून को अपनाया और कार्यान्वित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भूजल विनियमन के लिए सीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि, राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों का यह दायित्व होगा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में चल रहे ड्रिलिंग रिगों को पंजीकृत करें और उनके द्वारा ड्रिल किए गए कुओं के डेटाबेस भी तैयार करें। इसके अतिरिक्त सीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पर एक अनिवार्य शर्त लगाई गई है कि कुएं की विफलता के मामले में परियोजनाओं द्वारा ऐसे निष्क्रिय कुएं को उचित रूप से सील किया जाएगा और इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे।

*****